न्यायालय श्री सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः—श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः— 371 / 2017

प्रार्थीगणः—

1. भोमाराम पुत्र श्री मालुराम
2. गोपाराम पुत्र श्री मालुराम
3. लुम्बाराम पुत्र श्री मालुराम

जाति गवारिया, निवासी ओसियां,
तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगणः—

1. नाथुराम पुत्र श्री सांवताराम
2. भीयाराम पुत्र श्री सांवताराम
3. जगदीश पुत्र श्री सांवताराम
4. गोरखाराम पुत्र श्री सांवताराम फौत के कायम मुकाम

4/1 ओमाराम पुत्र श्री गोरखाराम
4/2 पपुराम पुत्र श्री गोरखाराम
4/3 जमना पुत्री श्री गोरखाराम
4/4 बाया पुत्री श्री गोरखाराम
4/5 अणची पुत्री श्री गोरखाराम

5. समदा पुत्री श्री सांवताराम

जातियान गवारियां हाल निवासी बापिणी,
तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

6. उप पंजीयन अधिकारी ओसियां।
7. तहसीलदार ओसियां।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित —

प्रार्थीगण — अधिवक्ता श्री जसवन्तसिंह चौहान।
अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री पेपसिंह भाटी।
अप्रार्थी संख्या 6 के विरूद्ध एकपक्षीय।
अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से सरकारी पैरोकार।

सहायक कलक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

–::निर्णय::–

दिनांक:– 29/01/2020

प्रार्थीगण द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि:–ग्राम ओसियां, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर की सरहद में खसरा नम्बर 1742/5 रकबा 08 बीघा बिस्वा की भूमि आई हुई हैं जो प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि हैं। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की पैतृक भूमि होने के कारण बाई बर्थ प्रार्थीगण का हक हिस्सा निहित हैं। प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा है तथा इसी अनुसार प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण अपना 1/6 हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि का राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर माप एवं सीमांकन अनुसार बंटवाड़ा किया हुआ नहीं हैं। सभी खातेदारान अन्दाजीया तौर पर कम ज्यादा भूमि पर काबिज हैं। प्रत्येक खातेदार को प्रत्येक इंच भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त। प्रत्येक खातेदार को अच्छे में से अच्छी व बुरे में से बुरी भूमि अपने हिस्से के अनुपात में प्राप्त करने का अधिकार हैं। किसी भी खातेदार को किसी भी निश्चित भू–भाग पर कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हैं। इसलिए किसी भी खातेदार को निश्चित भू–भाग पर कब्जा कर बेचान करने का अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि का मौके पर व राजस्व रेकर्ड में माप एवं सीमांकन अनुसार विभाजन करवाने हेतु कई बार परन्तु अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को तरह–तरह के बहाने बताते रहें जिसे प्रार्थीगण हकीकत समझते रहे। दिनांक 28.08.2017 को प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि का राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर माप एवं सीमांकन अनुसार विभाजन करवाने हेतु कहा तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को विभाजन करवाने से साफ इन्कार कर दिया तथा वादग्रस्त भूमि का बिना विभाजन करवाये बेचान कर प्रार्थीगण मौके से बेदखली की एलानिया धमकी दी इस प्रकार मौके पर विभाजन को लेकर भयंकर विवाद उत्पन्न हो गया हैं। यह हैं कि उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों अनुसार प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में बेखुबी प्रमाणित हैं, सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में बनता हैं तथा अपूर्णीय क्षति भी निश्चित तौर से प्रार्थीगण को ही होगी क्योंकि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण व अन्य की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें से अप्रार्थीगण बिना विभाजन करवाये निश्चित भू–भाग का बेचान कर प्रार्थीगण को मौके से बेदखल करने हेतु उतारू है। यदि अप्रार्थीगण ऐसा करने में सफल होते है तो प्रार्थीगण को भयंकर समस्या का सामना करना पडेगा तथा प्रार्थीगण की अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई रूपयों पैसो में नहीं की जा सकेगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जावें कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1742/5 रकबा 8 बीघा मौजा ग्राम ओसियां तहसील ओसियां में प्रार्थीगण के हक अधिकार सुदा भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करने न किसी अन्य से करावें तथा प्रार्थीगण के आवागमन हेतु रास्ते की भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें न ही किसी

सहायक कलक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

अन्य से करावें तथा किसी प्रकार का बेचान हस्तान्तरण नहीं करें, मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

यह है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री पेपसिंह भाटी ने वकालात नामा पेश किया अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित, अप्रार्थी संख्या 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया तथा अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे व हक हिस्से अनुसार भूमि सम्बन्धी हस्तान्तरण, हकतर्क, बेचान इत्यादि से नहीं रोकने का भी निवेदन किया।

यह है कि बहस अधिवक्तागण की सुनी गई बहस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा प्रार्थीगण का अपने हक हिस्से अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जाती है ग्राम ओसियां के खसरा नम्बर 1742/5 रकबा 08 बीघा में दोनों पक्षकारान सह खातेदार है दोनों मौके पर कब्जा काश्त अनुसार कृषि कार्य करने पर सहमत है। दोनों के हिस्से 1/4, 1/4 में अपने– अपने हिस्से में किसी से हकत्याग कराना चाहे, विकास कार्य कराना चाहे तो अपने कब्जे में करे। अपने कब्जे से बाहर विक्रय पर पाबन्दी रहेगी। एक दूसरे का कब्जा में दखलंदाजी नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 29/01/202० को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned by CamScanner